अध्याय 5 - निगरानी

निगरानी किसी भी योजना का अभिन्न अंग होती है। निगरानी सुनिश्चित करती है कि योजना निर्मित/विचारित करते समय निर्धारित की गई दिशा में प्रगति कर रही है। निगरानी में योजना से संबंधित सूचना का संग्रहण व विश्लेषण सम्मिलित है जो कि योजना के कार्यान्वयन के दौरान ही किया जाता है। प्रभावी निगरानी तंत्र एनपीएस अभिदाताओं के हितों की रक्षा सुनिश्चित करेगा, व्यक्ति विशेष के प्रैन में समय से धन का जमा होना सुनिश्चित करेगा जो कि योजना के समग्र उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये आवश्यक है और अन्ततः एनपीएस में परिकल्पित अपेक्षित[49] प्रतिस्थापन दरें सुनिश्चित करेगा।

योजना व उसके कार्यान्वयन में कमजोर क्षेत्रों की पहचान व योजना की प्रगति की समीक्षा करने के लिए मूल्यांकन योजना का आवधिक, भूतलक्षी आकलन है जो कि आंतरिक रूप से अथवा बाह्य स्वतंत्र मूल्यांककों से करवाया जा सकता है जिससे कि योजना में मध्यावधि में सुधार किया जा सके।

निगरानी व मूल्यांकन योजना के कार्यान्वयन की दक्षता का आकलन करने व मध्यावधि सुधार करने हेतु आवश्यक कदमों की पहचान करने में सहायता प्रदान करते हैं जिससे इस संदर्भ में सरकारी नीति के लिए आवश्यक सूचना उपलब्ध करायी जा सके।

5.1 निगरानी

निगरानी तंत्र के मुख्य स्तंभ इस प्रकार हैं:

- एनपीएस के कार्यान्वयन की देख-रेख करने के लिये उत्तरदायी प्राधिकारी

  "पेंशन सुधारों में समस्याएं" पर आयोजित की गई बैठक (30 मई 2008) में यह निर्णय लिया गया कि एनपीएस के अन्तर्गत सभी लेखा-गठनों के लिये प्रणालियों व प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन की देख-रेख हेतु व्यय विभाग द्वारा सचिव (व्यय) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जायेगी।

- निगरानी के लिये उत्तरदायी प्राधिकारीः

  डीओई के दिनांक 3 फरवरी 2009 के का.ज्ञा. के अनुसार, मंत्रालयों/विभागों (केन्द्र सरकार के) को संयुक्त सचिव (प्रशासन) व प्रधान सीसीए[50]/सीसीए को सम्मिलित करते हुए एक समिति का गठन करना था

---

49 जैसा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित (अगस्त 2003) टिप्पण में इंगित किया गया है।

50 मुख्य लेखा नियंत्रक

और बाद में (जुलाई 2011) एनपीएस की निगरानी के लिये प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में गठित की जाने वाली समिति में वित्तीय सलाहकारों को भी सम्मिलित किया गया था।

- मुख्य संकेतक और आँकड़ों के संग्रहण की आवृत्ति

  समीक्षा बैठक (6 जुलाई 2011) में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग में एनपीएस का कार्यान्वयन एफए का एक मुख्य निष्पादन क्षेत्र होगा। एफए अपने संबंधित मंत्रालयों/विभागों में एनपीएस के कार्यान्वयन व निगरानी के संबंध में निम्न मापदंडों पर तिमाही निष्पादन प्रतिवेदन (क्यूपीआर) अपलोड करेंगे: I. आईआरएअनुपालन स्थिति II. एससीएफ अपलोड स्थिति III. एससीएफ लम्बित स्थिति IV. एससीएफ नियमितता स्थिति V. शिकायत स्थिति

परिकल्पित व्यवस्था प्रक्रिया के बावजूद, लेखापरीक्षा ने एनपीएस की निगरानी में निम्न कमियां पाई जिसने एनपीएस अभिदाताओं के हितों को प्रतिकूल रुप से प्रभावित किया। कुछ समस्याओं का समाधान महत्वपूर्ण विलम्ब के पश्चात् अब कर लिया गया है जबकि कुछ समस्याएँ समाधान के लिए शेष हैं।

5.1.1 एनपीएस की देखरेख व निगरानी के लिये समितियों का गठन न किया जाना।

मई 2008 में यह निर्णय लिया गया कि एनपीएस के अंतर्गत सभी लेखा गठनों के लिये प्रणालियों व प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन की देखरेख हेतु व्यय विभाग द्वारा सचिव (व्यय) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जायेगा।

फरवरी 2009 में यह निर्णय लिया गया कि संबंधित मंत्रालयों/विभागों में एनपीएस के प्रचालन की निगरानी करने के लिये मंत्रालयों/विभागों (केन्द्र सरकार के) को संयुक्त सचिव (प्रशासन) व प्रधान सीसीए/सीसीए को सम्मिलित करते हुए संबंधित मंत्रालयों/विभागों में एक समिति का गठन करना होगा। बाद में (जुलाई 2011) यह निर्णय लिया गया कि इन समितियों का गठन व्यापक होना चाहिए जिससे कि मंत्रालयों/विभागों के एफए को सम्मिलित किया जा सके।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2012-13 से 2018-19 की अवधि के दौरान 66-68 मंत्रालयों/विभागों में से कुछ मंत्रालयों/विभागों ने समितियाँ नहीं बनायी तथा कुछ ने विलम्ब के बाद बनाई।

मई 2015 में पीएफआरडीए ने भी केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों व विभागों को एनपीएस के प्रचालन की निगरानी करने के लिये एक समिति का गठन करने व नियमित रूप से उस समिति की बैठक आयोजित करने का आग्रह किया।

हालाँकि, अभिलेखों में ऐसा कुछ भी नहीं था जो केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों में समितियों के गठन व उनके प्रकार्यों का मूल्यांकन करने के लिये डीओई द्वारा किये गये प्रयासों को इंगित करें।

डीओई ने लेखा परीक्षा को सूचित (जनवरी 2019) किया कि सचिव (व्यय) की अध्यक्षता में ऐसी किसी समिति के गठन के संकेत नहीं थे तथा एनपीएस के उचित क्रियान्वयन की निगरानी प्रत्येक मंत्रालय में गठित समिति, जिसमें एफए एक सदस्य के रूप में थे, के द्वारा की जा रही थी।

डीएफएस ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2019) में कहा कि डीओई ने एनएसडीएल से वर्ष 2011-12 के क्यूपीआर के सन्दर्भ में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के निष्पादन पर सार-संक्षेप प्राप्त करने के संबंध में सूचित किया था और उसे सुधारात्मक कार्रवाई के लिये संबंधित एफए को भेज दिया (जून 2012) गया था।

हालाँकि, यह पाया गया कि क्यूपीआर के संबंध में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के निष्पादन पर उस सार-संक्षेप में मंत्रालयों/विभागों में समितियों के गठन की सूचना नहीं थी तथा वह केवल क्यूपीआर की प्रक्रिया में एफए की भागीदारी को इंगित कर रहा था। इसके अतिरिक्त, दिये गये उत्तर शेष मंत्रालयों/विभागों में ऐसी समितियों के गठन व प्रकार्यों को सुनिश्चित करने तथा संबंधित एफए द्वारा की गई सुधारात्मक कार्रवाई को आगे बढाने पर डीओई द्वारा बाद में (20 जून 2012 से 1 जुलाई 2019 तक) किये गये प्रयास पर मौन था। यह डीओई की जिम्मेदारी थी कि वह सुनिश्चित करे कि ऐसी सभी समितियों का गठन हो व उसी अनुसार कार्य करें जैसा कि परिकल्पित किया गया है, जो कि डीओई द्वारा सुनिश्चित नहीं किया गया। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि एनपीएस की प्रभावी निगरानी के लिये सभी मंत्रालयों/विभागों में समितियां बनायी जायें।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि डीओई ने दिनांक 2 जुलाई 2019 के अपने का.ज्ञा. में प्रत्येक मंत्रालय में एक समिति गठित करने (जैसा कि दिनांक 3 फरवरी 2009 के का.ज्ञा. द्वारा पहले किया गया था) के अपने अनुदेशों को पुनः जारी किया। इसने निगरानी प्रक्रिया पर अर्ध-वार्षिक स्थिति प्रतिवेदन प्राप्त करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के एफए से लेकर डीओपीपीडब्ल्यू को दे दी है।

5.1.2 एफए द्वारा डैशबोर्ड का प्रयोग न किया जाना

समीक्षा बैठक (6 जुलाई 2011) में यह भी निर्णय लिया गया कि प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग में एनपीएस का कार्यान्वयन एफए का एक मुख्य निष्पादन क्षेत्र

होगा और वे अपने मंत्रालयों/विभागों में एनपीएस के कार्यान्वयन और निगरानी से संबंधित एक विस्तृत तिमाही प्रतिवेदन डीओई को प्रस्तुत करेंगें। तदनुसार, भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के एफए को सीआरए की वेबसाइट पर एक डैशबोर्ड उपलब्ध कराया गया जहाँ पर वे अपने मंत्रालयों/विभागों में एनपीएस के कार्यान्वयन व निगरानी से संबंधित क्यूपीआर को अपलोड कर सकते थे।

डीओई द्वारा उपलब्ध करवायी गई एफए से संबंधित तिमाही-वार जानकारी की जांच ने दर्शाया कि सभी एफए डैशबोर्ड का प्रयोग नहीं कर रहे तथा वार्षिक आधार पर भी कोई टिप्पणी नहीं दे रहे थे जैसा कि नीचे तालिका 5.1 में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि 16 मंत्रालयों/विभागों के एफए ने डैशबोर्ड का कभी प्रयोग नहीं किया। 15 मंत्रालयों/विभागों के एफए ने 1-5 बार, 20 मंत्रालयों/विभागों के एफए ने 6-10 बार तथा शेष 17 मंत्रालयों/विभागों के एफए ने 14-28 बार डैशबोर्ड का प्रयोग किया जिसका विवरण **अनुलग्नक XVIII** में दिया गया है।

सभी एफए द्वारा डैशबोर्ड के प्रयोग की परिकल्पित संख्या (तिमाही प्रयोग के आधार पर) के संबंध में डैशबोर्ड के प्रयोग व टिप्पणियों की संख्या को नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका: 5.1

वर्ष	मंत्रालयों/ विभागों की संख्या	वर्ष में कम से कम एक बार डैशबोर्ड का प्रयोग करने वाले एफए की कुल संख्या	वर्ष में कम से कम एक बार टिप्पणी देने वाले एफए की कुल संख्या	प्रयोग किये जाने वाले डैशबोर्ड/ दी जाने वाली टिप्पणियों की कुल संख्या*	प्रयोग किये गये डैशबोर्ड की कुल संख्या	अवसरों की कुल संख्या जब टिप्पणी दी गई
2011-12 (अक्तूबर 2011 से)	66	31	14	132	48	14
2012-13	66	50	35	264	177	112
2013-14	67	38	26	268	105	75
2014-15	67	17	16	268	67	65
2015-16	68	18	17	272	61	60
2016-17	68	13	13	272	51	49
2017-18	68	14	13	272	47	43
2018-19 (सितम्बर 2018 तक)	68	11	11	136	22	22

*मंत्रालयों की संख्या x तिमाहियों की संख्या

एफए द्वारा अनुपालन की जाँच करने की क्रियाविधि के संबंध में डीओई ने कहा (जनवरी 2019) कि एनपीएस एक कर्मचारी केन्द्रित व विभाग केन्द्रित प्रणाली है और एनपीएस के कार्यान्वयन की निगरानी संबंधित प्रशासनिक प्राधिकारी व एफए सर्वोत्तम ढंग से कर सकते हैं। डीओई ने यह भी कहा कि आवश्यक कार्रवाई के लिये वह संबंधित प्राधिकारियों को निर्देशित कर सकती है। जाँच करने के लिये डीओई में किसी संस्थागत तंत्र की आवश्यकता नहीं है। डीओई ने आगे कहा कि इस टीयर पर एनपीएस को 14 वर्ष हो चुके हैं तथा यह काफी स्थिर हो चुका है।

डीओई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पीएफआरडीए द्वारा प्रदान किये गये आँकड़ों के अनुसार एनपीएस के कार्यान्वयन में अभी भी समस्याएँ थीं।

उदाहरण के लिये, 30 अप्रैल 2018 को केन्द्र सरकार के कुल सिविल अभिदाताओं के 80 प्रतिशत से अधिक अभिदाता गृह मंत्रालय के थे। वर्ष 2008-09 से 2016-17 के दौरान 29,597 ऐसे अवसर थे जहाँ जमा होने में एक वर्ष से अधिक का विलम्ब हुआ (डीडीओ वार तथा माह-वार क्रेडिट)। यह इंगित करता है कि डैशबोर्ड के द्वारा एनपीएस के कार्यान्वयन की निगरानी की लगातार आवश्यकता एफए को है। डीओई के दिनांक 2 जुलाई 2019 के का.ज्ञा. के द्वारा प्रत्येक मंत्रालय में समिति के गठन की आवश्यकता से संबंधित अनुदेशों की पुनरावृत्ति लेखापरीक्षा निष्कर्ष को साबित करती है।

5.2 अभिदाताओं की शिकायतों का निवारण

पीएफआरडीए (अभिदाता की शिकायत का निवारण) विनियम, 2015 ने अभिदाताओं को शिकायतों के निवारण की स्पष्ट प्रक्रिया उपलब्ध करायी जिसमें समाधान की समय-सीमा सम्मिलित थी तथा समाधान न होने की स्थिति में दंड प्रावधानों के साथ उच्चतर टीयर पर समाधान की प्रक्रिया थी। शिकायत का समाधान न होने अथवा संतोषजनक समाधान न होने की स्थिति में अभिदाता अपनी शिकायत के समाधान के लिये उसे एनपीएस न्यास को भेज सकता है। इसके अतिरिक्त, विनियमों में दी गई क्रिया-विधि के अनुसार, शिकायत का समाधान करने के लिये एनपीएस न्यास संबंधित कार्यालय से प्रकरण पर बातचीत करता है और यदि फिर भी शिकायत का निवारण नहीं होता तो शिकायतों को उच्चतर टीयर पर पीएफआरडीए के पास भेज दिया जाता है। तत्पश्चात, पीएफआरडीए निर्धारित अवधि में समाधान उपलब्ध कराने के लिये पर्यवेक्षण कार्यालयों[51] के साथ बातचीत करता है।

[51] केन्द्र सरकार में प्रधान लेखा कार्यालय तथा राज्य सरकार में नामित प्राधिकरण

केन्द्र सरकार/सीएबी/राज्य सरकार/एसएबी में शिकायतों की मुख्य श्रेणी निम्न है:

- अंशदान धनराशि का खाते में परिलक्षित न होना
- अंशदान धनराशि अपलोड करने में विलम्ब
- नोडल कार्यालय के विरूद्ध न्यासी बैंक की शिकायत
- गलत अंशदान धनराशि का परिलक्षित होना
- अभिदाता द्वारा परिवर्तन के अनुरोध पर कार्रवाई न करना/विलम्ब से करना
- प्रैन कार्ड से संबंधित- अन्य
- ट्रांजैक्शन विवरणी से संबंधित
- टियर-II से संबंधित
- आहरण से संबंधित

जैसा कि पैरा 4.1.2 में चर्चा की गई है, गलती करने वाले नोडल कार्यालयों पर दंड लगाने के मुद्दे पर पीएफआरडीए ने उत्तर दिया कि गलती करने वाले नोडल कार्यालयों पर दंड लगाने का प्रावधान पीएफआरडीए विनियमों में नहीं था, चूँकि मौजूदा स्थिति में विशेषतया सरकारी नोडल कार्यालयों के लिये प्रावधान पीएफआरडीए द्वारा निर्मित नहीं किये गये हैं। हालाँकि, पीएफआरडीए अधिनियम 2013 की धारा 28 के अंतर्गत किसी मध्यस्थ अथवा किसी ऐसे व्यक्ति जिसे अधिनियम के प्रावधानों, नियमों, विनियमों तथा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना हो, के असफल होने पर दंड एवं न्याय निर्णयन वर्णित किए गए थे।

पीएफआरडीए का उत्तर इंगित करता है कि चूँकि सरकारी नोडल कार्यालय मध्यस्थ के रूप में पंजीकृत नहीं थे इसलिये शिकायत निवारण समय-सीमा का अनुपालन न करने अथवा समय से अनुपालन न करने के लिये उन पर दंड लागू नहीं थे। अतः सरकारी नोडल कार्यालयों को मध्यस्थ के रूप में पंजीकृत न करने व इन कार्यालयों पर दंड न लगाये जाने के कारण शिकायत निवारण समय-सीमा के साथ उपरोक्त शिकायतों के मुख्य वर्गों का समय से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

तालिका: 5.2

1 अप्रैल को बकाया शिकायतों की कुल संख्या '(ख)' में से एक वर्ष अथवा उससे अधिक समय से बकाया शिकायतें '(क)'												
वर्ष	**2013**		**2014**		**2015**		**2016**		**2017**		**2018**	
क्षेत्र	**क**	**ख**	**क**	**ख**	**क**	**ख**	**क**	**ख**	**क**	**ख**	**क**	**ख**
केन्द्र सरकार	5,924	6,561	6,366	6,786	1,401	2,092	646	1,018	365	773	192	596
केन्द्रीय स्वायत्त निकाय	438	623	616	806	562	562	176	377	138	282	50	199
राज्य सरकार	1,100	1,701	1,579	2,155	705	2,011	220	638	77	385	1	320
राज्य स्वायत्त निकाय	18	33	33	94	32	192	104	365	315	493	74	275

डीएफएस ने अपने उत्तर (दिसंबर 2019) में कहा कि पीएफआरडीए ने सूचित किया था कि सरकारी क्षेत्र पर दंड/विनियमों के लिये कोई प्रावधान न होने के कारण अभिदाता के हितों की रक्षा हेतु पीएफआरडीए द्वारा सरकारी नोडल कार्यालयों से शिकायतों के शीघ्र निवारण हेतु लगातार बातचीत की जा रही है।

5.3 अतिरिक्त राहत प्रदान करने के लिये प्रकरणों को अंतिम रूप देने में समस्याएं

डीओपीपीडब्ल्यू ने (दिनांक 5 मई 2009 के का.ज्ञा. द्वारा) अशक्तता/विकलांगता के कारण सेवानिवृत्त हुये केन्द्र सरकार के एनपीएस अभिदाताओं तथा एनपीएस के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के मृत कर्मचारियों के परिवारजनों को वैकल्पिक रूप से अशक्तता पेंशन/पारिवारिक पेंशन जैसी अतिरिक्त राहत अनंतिम आधार पर दी। ऐसा, 1 जनवरी 2004 को अथवा उसके बाद नियुक्त किये गये कर्मचारियों जिन्हें अशक्तता/विकलांगता के कारण हटा दिया गया था तथा उन कर्मचारियों, जिनकी मृत्यु 1 जनवरी 2004 को या बाद में सेवाकाल के दोरान हुई थी, के द्वारा उनके या परिवारों द्वारा उठाई जा रही कठिनाईयों को कम करने के लिये किया गया था। विकल्प के अन्तर्गत अभिदाता/परिवार के सदस्य या तो पुरानी पेंशन योजना के लाभों को चुन सकते थे अथवा एनपीएस के अंतर्गत प्रदत्त लाभों को चुन सकते थे।

पीएफआरडीए (एनपीएस के अन्तर्गत निकासी एवं प्रत्याहरण) विनियम 2015 के अनुसार, यदि कोई अभिदाता अथवा उसकी मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार का

सदस्य मृत्यु अथवा नि:शक्तता होने पर सरकार अथवा नियोक्ता द्वारा प्रदान की गई अतिरिक्त राहत का विकल्प चुनता है तो सरकार के पास अभिदाता की सम्पूर्ण जमा पेंशन धनराशि को समायोजित करने अथवा अपने पास स्थानांतरित करने का अधिकार होगा।

इस संदर्भ में, नोडल कार्यालय को एनएसडीएल-सीआरए को अनुरोध प्रस्तुत करना होता है। नोडल कार्यालय से अनुरोध प्राप्त होने के बाद, यदि सभी दस्तावेज सही हों तो सीआरए प्रणाली में 'अशक्तता/पारिवारिक पेंशन' प्रत्याहरण अनुरोध कार्यान्वित किया जाता है तथा नोडल कार्यालय को निधि स्थानांतरित कर दी जाती है। हालाँकि, यदि नोडल कार्यालय ने 'अशक्तता/पारिवारिक पेंशन' के लिये अनुरोध प्रस्तुत नहीं किया तथा निकासी/मृत्यु प्रत्याहरण अनुरोध पर कार्रवाई कर दी तो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निधि को नोडल कार्यालय द्वारा प्रदान किये गये दावेदार के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

पीएफआरडीए ने पाया (जुलाई 2014) कि कुछ राज्य सरकारें, राजकीय/केन्द्रीय स्वायत्त निकाय आदि भी एनपीएस के अन्तर्गत आने वाले अपने कर्मचारियों को ऐसी राहत प्रदान कर रहे थे, हालाँकि इस संबंध में उनसे कोई सम्पर्क नहीं हुआ। परिणामस्वरूप, इसने इस सम्भावना को इंगित किया कि चाहे जानबूझकर अथवा अनजाने में अभिदाता/परिवार के सदस्य दोनों लाभ ले सकते हैं। इस समस्या के समाधान के लिये, इसने नोडल कार्यालय (पीएओ/डीडीओ) से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना प्रारम्भ कर दिया (मार्च 2014) जिसमें यह वर्णित हो कि मृत अभिदाता के परिवार के सदस्यों/अभिदाता से पारिवारिक/अशक्तता पेंशन प्राप्त करने के लिये कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है तथा उन्हें एनपीएस लाभ निर्गत करने में कोई आपत्ति नहीं है। पीएफआरडीए ने सभी सरकारी विभागों व एबी से पारिवारिक पेंशन/अशक्तता पेंशन या कोई अन्य लाभ के भुगतान के लिये प्राप्त आवेदनों से संबंधित विवरण मांगे थे।

पीएफआरडीए ने लेखापरीक्षा को सूचित किया (दिसम्बर 2018) कि सीआरए ने 102 नोडल कार्यालयों (प्रधान एओ/डीटीए) से सूचना प्राप्त की है कि 2,822 अभिदाताओं को पारिवारिक पेंशन/अशक्तता पेंशन का भुगतान कर दिया गया है/दिया जाना है। लेखापरीक्षा ने पाया कि इनमें से 552 अभिदाता केन्द्र सरकार के सिविल मंत्रालयों/विभागों से तथा शेष 2,270 अभिदाता सीएबी को सम्मिलित करते हुए केन्द्र सरकार के रेलवे, रक्षा एवं डाक विभागों से और एसएबी को सम्मिलित करते हुये राज्य सरकारों के विभागों से थे।

लेखापरीक्षा ने सीपीएओ से ऐसे प्रकरणों का विवरण भी मांगा (अक्तूबर 2018) जो सिविल मंत्रालयों/विभागों (रेलवे, डाक, रक्षा को छोड़कर) के पेंशन मामलों से

संबंधित है। उत्तर में, सीपीएओ ने सूचित किया (नवम्बर 2018) कि सिविल मंत्रालयों/विभागों (दिल्ली प्रशासन तथा अंडमान व निकोबार यूटी को सम्मिलित करते हुए) के एनपीएस अभिदाताओं/परिवारों के 4,767 प्रकरणों में डीओपीपीडब्ल्यू के दिनांक 5 मई 2009 के का.ज्ञा. के अनुसार अशक्तता/पारिवारिक पेंशन के लाभ मिल चुके हैं/मिलने के लिये पात्र हैं।

यह देखा गया कि पीएफआरडीए के पास कुल 2,822 प्रकरण के विवरण थे जिसमें से केवल 552 केन्द्र सरकार के सिविल मंत्रालयों/विभागों से संबंधित थे जबकि सीपीएओ ने 4,767 प्रकरणों की सूचना दी थी। इस प्रकार उपरोक्त से नोडल कार्यालय, सीपीएओ तथा सीआरए/पीएफआरडीए के मध्य समन्वय की कमी अथवा सूचना साझा करने की क्रिया विधि का अभाव स्पष्ट था।

आँकड़ों को पुन: संबद्ध तथा उनका और विश्लेषण करने के लिये सीपीएओ से प्राप्त आँकड़ों को स्थिति/विवरण मांगते हुए पीएफआरडीए के पास अग्रेषित किया गया था। उत्तर में, सीआरए/पीएफआरडीए ने 4,361 प्रकरणों की स्थिति/विवरण प्रदान किया। हालाँकि, स्थिति/विवरण से संबंधित वर्ष तथा पेंशन के प्रकार नामत: असाधारण पेंशन अथवा पुरानी पेंशन आदि की सूचना सीआरए/पीएफआरडीए द्वारा नहीं दी गई।

सीपीएओ द्वारा प्रदान किये गये आँकड़ों (4,361 प्रकरण) तथा सीआरए/पीएफआरडीए द्वारा प्रदान की गई स्थिति/विवरण की जाँच में लेखापरीक्षा ने निम्न पाया:

- 149 मृत्यु के प्रकरणों में सरकार के हित सुरक्षित थे जिसमें मई 2016 से दिसम्बर 2018 के दौरान नोडल कार्यालय को ₹6.94 करोड़ स्थानांतरित किये गये। पीएफआरडीए ने उत्तर दिया कि नोडल कार्यालयों ने पारिवारिक पेंशन के बारे में सीआरए को सूचित किया था व प्रत्याहरण के लिये अनुरोध प्रस्तुत किया था तथा तद्नुसार निधियों को संबंधित नोडल कार्यालय को स्थानांतरित किया गया था।
- 82 प्रकरणों में जैसा कि नीचे चर्चा की गई है, अभिदाताओं/परिवार को सदस्यों के निधि निर्गत कर दी गई थी जबकि उन्हें अशक्तता पेंशन/पारिवारिक पेंशन के लाभ भी मिल रहे थे:
    - 76 प्रकरणों में सरकारी खाते के स्थान पर अभिदाता/परिवार के सदस्यों को ₹2.11 करोड़ की धनराशि स्थानांतरित की गई। इन 76 प्रकरणों में से 39 प्रकरण 2004-05 से 2013-14 (₹57.11 लाख) की अवधि से तथा 37 प्रकरण (₹1.54 करोड़) 2014-15 से 2017-18 की

अवधि से संबंधित थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि सीपीएओ अथवा पीएफआरडीए के पास कोई स्पष्टता नहीं थी कि इन प्रकरणों में जारी की गई निधियों की वसूली अशक्तता/पारिवारिक पेंशन की धनराशि से की जा रही थी या नहीं।

पीएफआरडीए ने कहा (अप्रैल 2019) कि दावेदारों को निधि निर्गत कर दी गई थी क्योंकि नोडल कार्यालय द्वारा मृत्यु प्रत्याहरण अनुरोध पारिवारिक पेंशन के भुगतान के वर्णन के बिना प्रस्तुत किया गया था। इसने आगे कहा कि संबंधित नोडल कार्यालय पेंशन भुगतानों की राशि से वसूली/समायोजन का विवरण प्रदान करने की स्थिति में होंगे। सीपीएओ ने कहा (मई 2019) कि इसने पीएओ द्वारा अग्रेषित एनपीएस के अन्तर्गत पारिवारिक/नि:शक्तता पेंशन प्रकरणों का भुगतान किया था तथा उसके पास ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी कि क्या अभिदाता पारिवारिक पेंशन तथा एनपीएस प्रत्याहरण दोनों का लाभ ले रहा था।

- 6 प्रकरणों में ₹6.98 लाख की धनराशि नोडल कार्यालय द्वारा गलत प्रत्याहरण अनुरोध (पारिवारिक पेंशन का स्थान पर 'मृत्यु के कारण निकासी' अथवा 'समयपूर्व निकासी') के कारण अभिदाताओं/परिवार के सदस्यों को स्थानांतरित कर दी गई थी।

  पीएफआरडीए ने सूचित किया (अप्रैल 2019) कि तीन प्रकरणों में 20 प्रतिशत कोष को अभिदाताओं/पारिवारिक सदस्यों को तथा 80 प्रतिशत कोष को संबंधित एएसपी को स्थानांतरित किया गया था जैसा कि अभिदाता द्वारा विकल्प चुना गया था। दो प्रकरणों में, 20 प्रतिशत कोष अभिदाता के बैंक खाते में स्थानान्तरित कर दिया गया था और 80 प्रतिशत कोष अभिदाता के प्रैन में ही था चूँकि अभिदाताओं/पारिवारिक सदस्यों ने अभी तक एएसपी से वार्षिकी नहीं खरीदी थी। एक प्रकरण में सम्पूर्ण कोष को अभिदाताओं/पारिवारिक सदस्यों को स्थानांतरित कर दिया गया था चूँकि यह ₹1 लाख से कम थी।

  पीएफआरडीए के इस उत्तर से यह स्पष्ट है कि तीन प्रकरणों में अभिदाता/पारिवारिक सदस्य एनपीएस तथा पुरानी पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत पेंशन लाभ ले रहे थे। इसके अतिरिक्त, उन्हें अपने कोष का 20 प्रतिशत भी मिला। सीपीएओ तथा सीआरए/पीएफआरडीए के मध्य समन्वय अथवा सूचना साझा करने में कमी के कारण सरकार को

वित्तीय नुकसान हुआ। न तो सीआरए/पीएफआरडीए और न ही सीपीएओ को यह जानकारी थी कि निर्गत किये गये अतिरिक्त लाभों की वसूली नोडल कार्यालय द्वारा की जा रही थी या नहीं।

डीएफएस ने अपने उत्तर में सूचित (दिसम्बर 2019) किया कि पीएफआरडीए ने कहा है कि एनपीएस खाते में पड़ी धनराशि को नोडल कार्यालय द्वारा अनुरोध किये जाने पर नोडल कार्यालय को वापस किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, एकमुश्त धनराशि के रूप में पहले ही चुकाई गई रकम के 20 प्रतिशत की वसूली/समायोजन करना संबंधित नोडल कार्यालय की जिम्मेदारी होगी।

सरकार के हितों की रक्षा करने के लिये इन प्रकरणों में बिना और विलम्ब किये समुचित कार्रवाई की जाये।

- शेष 4,130[52] प्रकरणों में, स्थानांतरण के अभाव में ₹139.95 करोड़ की धनराशि अभी भी अभिदाताओं के एनपीएस खाते में पड़ी हुई है जो कि इस प्रकार है:
    - 3,122 प्रकरणों में, प्रैन खातों में ₹121.21 करोड़ की धनराशि पड़ी हुई थी क्योंकि संबंधित नोडल कार्यालय ने निकासी/प्रत्याहरण अनुरोध को आगे नहीं बढ़ाया/कार्रवाई नहीं की। पीएफआरडीए ने उत्तर दिया (अप्रैल 2019) कि जब संबंधित नोडल कार्यालयों से दस्तावेज प्राप्त हो जायेंगें तब पारिवारिक पेंशन के बदले एनपीएस कोष को नोडल कार्यालय को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। सीपीएओ ने कहा (मई 2019) कि इन प्रकरणों के निपटान में उसकी कोई भूमिका नहीं थी क्योंकि इसने दिनांक 5 मई 2019 के का.ज्ञा. के सन्दर्भ में पीएओ द्वारा अग्रेषित एनपीएस के अन्तर्गत पारिवारिक/नि:शक्तता पेंशन प्रकरणों का निपटान किया था।
    - 751 प्रकरणों[53] में जिनमें पीएफआरडीए ने गैर-आईआरए प्रैन खातों को निष्क्रिय कर दिया था, उनमें अभिदाताओं के एनपीएस खातों में ₹11.42 करोड़ की धनराशि पड़ी हुई थी। पीएफआरडीए ने उत्तर दिया (अप्रैल 2019) कि नोडल कार्यालयों से अनुरोध

---

52 4,361 प्रकरण -149 प्रकरण - 82 प्रकरण

53 34 प्रकरण सम्मिलित हैं जिनमें प्रैन खातों में कोई अंशदान प्राप्त नहीं हुए।

प्राप्त होने पर सम्पूर्ण एनपीएस कोष को संबंधित नोडल कार्यालय को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। सीपीएओ ने (मई 2019) इस संदर्भ में कोई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की।

- 257 प्रकरणों में जिनमें नोडल कार्यालय को सूचना मिलने पर कि कर्मचारी पारिवारिक पेंशन के लिये पात्र है, पीएफआरडीए द्वारा प्रैनों को निष्क्रिय कर दिया गया था, उन प्रैन खातों में ₹7.32 करोड़ पड़े थे। पीएफआरडीए ने उत्तर दिया (अप्रैल 2019) कि नोडल कार्यालयों ने अपने पास निधियों के प्रत्याहरण/स्थानांतरण के लिये अभी तक अनुरोध प्रस्तुत नहीं किया था। तदनुसार, निधियों का निवेश प्रैन में ही रहेगा तथा अनुरोध प्राप्त होने पर संबंधित नोडल कार्यालय को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। सीपीएओ (मई 2019) के पास इस संदर्भ में देने के लिये कोई टिप्पणी नहीं थी।

उपरोक्त प्रकरणों की स्थिति विभिन्न सम्मिलित इकाईयों में समन्वय की कमी को इंगित करती है। दिनांक 5 मई 2009 के का.ज्ञा. के जारी होने के बाद सरकार द्वारा उन प्रकरणों को चिन्हित/पहचानने जिनमें का.ज्ञा. के अन्तर्गत लाभ प्रदान कर दिये गये थे तथा सरकार को संबंधित एनपीएस निधियों का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए, कोई तंत्र निर्मित नहीं किया गया था। पीएफआरडीए ने प्रारम्भ से/अतिरिक्त राहत प्रदान करने की तारीख से विभिन्न राज्यों, एसएबी एवं सीएबी में लम्बित इस प्रकार के प्रकरणों से संबंधित सूचना लेखापरीक्षा को नहीं दी।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ सीपीएओ एवं पीएफआरडीए के पास केंद्रीय सिविल मंत्रालयों/विभागों (दिल्ली प्राधिकरण और अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश सहित) के संबंध में उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित हैं और सरकार इस तरह के विलम्बों की पहचान के लिए समस्त एनपीएस पर (अर्थात् डाक, रेलवे, रक्षा, केंद्र के सीएबी एवं राज्य सरकारी विभागों और सम्बद्ध राज्यों के एसएबी) उपयुक्त परीक्षण लागू कर सकती है और सुधारात्मक कार्रवाई प्रारंभ कर सकती है ताकि अभिदाता को हानि न हो।

अनुशंसा: (1) पीएफआरडीए को तत्पश्चात् अतिरिक्त राहत प्रदान किये जाने वाले प्रकरणों को सीआरए प्रणाली में चिन्हित करना चाहिए ताकि वार्षिकी सेवा प्रदाता या अभिदाता/परिवार के सदस्यों को किसी राशि के भुगतान से बचा जा सके। (2) पेंशन का भुगतान करने वाले प्राधिकारी को नोडल कार्यालय से इस तथ्य की एन.ओ.सी. प्राप्त करनी चाहिए कि दावेदार को एनपीएस के अन्तर्गत पेंशन स्वीकृत नहीं की गई है। (3) सरकार अतिरिक्त राहत का लाभ प्राप्त कर चुके अभिदाता/पारिवारिक सदस्यों को पहले ही एनपीएस निधि या एनपीएस खाते से कर दिये गये भुगतान की वसूली करने के लिये तुरन्त कदम उठाए।